न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 77/2020
जी.सी.एस.एम. नं. 2020/00181
किस्म – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 02.03.2021

1. बनैसिंह उम्र 50 साल पुत्र श्यामलाल जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर। —प्रार्थी

बनाम

1. साहबसिंह पिता पूरन जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर ।
2. बनैसिंह पिता पूरन जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
4. श्रीमान सब रजिस्टार महोदय भरतपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री जगवीरसिंह (प्रार्थीगण की और से)

श्री लक्ष्मणसिंह (अप्रार्थीगण की और से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है।
2. यह कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1872 रकवा 0.06, 1873 रकवा 0.01, 1874 रकवा 0.02, 1875 रकवा 0.01 किता 4 कुल रकवा 0.10 हैक्ट. वाके ग्राम मई तहसील नदबई में स्थित है जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी का रकवा है। जिस पर मुताबिक हिस्सा मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा अप्रार्थीगण आराजी पर अपने हिस्से से अधिक आराजी पर काबिज होना चाहते है। क्योकि उक्त आराजी का कानूनी विभाजन नही हुआ है। क्योकि उक्त आराजी मुतनाजा लेकर हम प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य गॉव के गणमान्य व्यक्तियों को लेकर बॅट बॉट हेतु लेकर गॉव के लोग अदालत लगान पर कानूनी बॅटवारा कराने हेतु हिदायत दी व अनुनय विनय की तब उक्त लोक अदालत में कानूनी बॅटवारा हेतु दस्तावेजी साक्ष्य भी संयोजिक किये गये प्रार्थी के हिस्से से ज्यादा व अधिक आराजी पर कब्जा करने हेतु अधिक आराजी कब्जा कर बॅटवारा नही दिया और आये दिन उक्त आराजी रकवा पर काश्त को लेकर तनाजा रहने लगा है। अब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य शामिल काश्त करना संभव नही रहा है। अतः प्रार्थी विवादित आराजी व वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बॅटवारा करापाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:21 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

4. यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थी को व मुकाम ग्राम मई तहसील नदबई पर यह दि. 06.09.20 को एलानियॉ धमकी दी है कि वह विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल कर देंगे व प्रार्थी को प्रार्थी की आराजी से बेदखल कर देंगे व हिस्से से अधिक आराजी पर कब्जा कर के रहेंगे जबकि अप्रार्थीगण कोऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुदकाम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें रहन व मुन्तकिल न करे हिस्से से अधिक आराजी पर कब्जा न करें। तथा रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री जगवीरसिंह एड़वोकेट द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की आर से श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुऐ। तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 के खिलाफ तामील बाबजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें निम्नांकित तथ्यों का वर्णन किया गया। जो इस प्रकार है

1. यह कि मद सं. 1 आंशिक स्वीकार है। जिसमें वादपत्र का न्यायालय श्रीमान में पेश होना तो स्वीकार है लेकिन कामयाबी की कोई उम्मीद नही है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बरान 1872 रकवा 0. 06, 1873 रकवा 0.01, 1874 रकवा 0.02, 1875 रकवा 0.01 कुल किता 4 कुल रकवा 0. 10 हैक्ट0 वाके ग्राम मई तहसील नदबई में स्थित होना एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण 5लगायत 9 का सहखातेदार होना व काबिज काश्तकार होना स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित आराजी के उक्त खसरान नम्बरान के 1/3, 1/3 हिस्से के सहखातेदार व काबिज है। तथा प्रार्थी 1/18 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं0 5 लगायत 9 प्रत्येक 1/18, 1/18 हिस्से के खातेदार व काबिज है। अप्रार्थी गण सं. 1 व 2 , 2/3 हिस्से पर मौके पर खातेदार व काबिज चले आ रहे है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र चरण सं. 3 के मुताबिक विवादित आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में होने व राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने हिस्से पर खातेदार व काबिज होने के अतिरिक्त अन्य कथन जिस तरीके के से वर्णित किये गये है। गलत होने के का कारण अस्वीकार है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 विवादित आराजी के अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर खातेदार व काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी के मन में बदयांति आ गई है। तथा वह अपने लट्ठ के बल वेशी रकवा पर जबरन कब्जा करने का प्रयास में कानूनी विभाजन नही होना अप्रार्थीगण अस्वीकार है। कानूनी विभाजन होने में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है। गॉव के मौजिज व्यक्तियों ने विवादित आराजी का कोई बॅटवारा नही किया तथा उन्हें बॅटवारा किये जाने का कोई अधिकार भी हासिल नही है केवल मात्र तहसीलदार नदबई को सहमति के आधार पर अथवा अदालत श्रीमान को बॅटवारा की डिक्री पारित करने का अधिकार हासिल है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने प्रार्थी को कभी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.10.02 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

उस के हिस्से 1/18 से बेदखल कर देने की कोई धमकी नही दी है। फिर भी अप्रार्थी स. 1 व 2 को विवादित आराजी का कानूनी बँटवारा किये जाने व अदालत श्रीमान द्वारा डिक्री पारित किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने व मुकाम ग्राम मई तहसील नदबई पर प्रार्थी को किसी भी दिनांक को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नही दी प्रार्थी अपने 1/18 हिस्से पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी को कोई भी धमकी नही दिये जाने से व 1/18 हिस्से पर प्रार्थी के काबिज खातेदार होने से उसे किसी प्रकार की कोई अजीम क्षति पैदा नही होती है। तथा प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी गण सं. 5 लगायत 9 में से प्रतिवादी सं. 9 प्रार्थी का भाई है। तथा प्रतिवादगण सं. 5 ल. 8 प्रार्थी की सगी बहिन है।

5. यह कि मद सं. 5 स्वीकार नही है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2073 – 2076 वाके मई, तहसील नदबई पेश कि गई।

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 वाके मई पेश कि गई।

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया गया कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। हाल विवादित आराजी खसरा नम्बर 1872 रकवा 0.06, 1873 रकवा 0.01, 1874 रकवा 0.02, 1875 रकवा 0.01 किता 4 कुल रकवा 0.10 हैक्ट. वाके ग्राम मई तहसील नदबई में स्थित है जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी का रकवा है। जिस पर मुताबिक हिस्सा मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी का कानूनी विभाजन नही हुआ है। क्योकि उक्त आराजी मुतनाजा लेकर हम प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य गॉव के गणमान्य व्याक्तियों को लेकर बँट बॉट को लेकर गॉव के लोक अदालत लगाने पर कानूनी बँटवारा कराने हेतु कहा गया।उक्त लोक अदालत में कानूनी बँटवारा हेतु दस्तावेजी साथ्य भी संयोजिक किये गये अप्रार्थी के मन में बदयांति व अधिक आराजी पर कब्जा करने हेतु अधिक आराजी कब्जा कर बँटवारा नही होने दिया और आये दिन उक्त आराजी रकवा पर काश्त को लेकर तनाजा रहने लगा है। अब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य शामिल काश्त करना संभव नही रहा है। अतः प्रार्थी विवादित आराजी व वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बँटवारा करापाने का अधिकारी है। उक्त आराजी का कानूनी विभाजन नही हुआ है। क्योकि उक्त आराजी मुतनाजा लेकर हम प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य गॉव के गणमान्य व्याक्तियों को लेकर बँट बॉट को लेकर गॉव के लोक अदालत लगान पर कानूनी बँटवारा कराने हेतु हिदायत दी व अनुनय विनय की तथा उक्त लोक अदालत में कानूनी बँटवारा हेतु दस्तावेजी साथ्य भी संयोजिक किये गये अप्रार्थी के मन में बदयांति व अधिक आराजी पर कब्जा करने हेतु अधिक आराजी कब्जा कर बँटवारा नही होने दिया और आये दिन उक्त आराजी रकवा पर काश्त को लेकर तनाजा रहने लगा है। अब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य शामिल काश्त करना संभव नही रहा है। अतः प्रार्थी विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बँटवारा करापाने का अधिकारी है। इसलिए जब तक विवादित आराजीयात बाबत वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.12.02 16:47:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

लेकर कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय मंगवायेगा तब तक आरजीयात की दावे के निस्तारण तक रहन बयमुन्तकिल नही करने रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अन्यथा ऐसी स्थिति में विवाद आराजी को बेचान व रहनबय हो सकता है तथा अजवनी पक्षकार मुकदमा में बनेगे तथा दावे के निस्तारण में रूकावट पैदा होगी। अतः प्राईमाफेसी केस सुविधा का सन्तुलन अपरमित क्षति मेरे को हो रही है। इसलिए जारी शुदा स्थगन आदेश कन्फर्म किया जावें।

अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया गया आराजी खसरा नम्बरान 1872 रकवा 0.06, 1873 रकवा 0.01, 1874 रकवा 0.02, 1875 रकवा 0.01 कुल किता 4 कुल रकवा 0.10 हैक्ट0 वाके ग्राम मई तहसील नदबई में स्थित होना एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण 5लगायत 9 का सहखातेदार होना व काबिज काश्तकार होना स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित आराजी के उक्त खसरान नम्बरान के 1/3, 1/3 हिस्से के सहखातेदार व काबिज है। तथा प्रार्थी 1/18 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं0 5 लगायत 9 प्रत्येक 1/18, 1/18 हिस्से के खातेदार व काबिज है। और अपने वाद पत्र व मौखिक बहस में कहीं नही बताया गया है कि बनैयसिंह का हिस्सा कितना बनता है और कितना हिस्सा बटवारे में चाहते है। बनैसिंह का उक्त आराजी में 1/18 हिस्सा बनता है। तथा बनैसिंह के भाई है प्रतिवादी स. 9 इाका भी 1/18 हिस्सा बनता है। और प्रति स. 5 लगायत 9 इनका भी 1/18 हिस्सा बनता है। और इस वाद पत्र प्रार्थना पत्र की ताहीद सगा भाई व बहिन नही करती है। ना कोई इनका शपथ पत्र है। कानूनी विभाजन किये जाने में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है। गॉव के मौजिज व्यक्तियों ने विवादित आराजी का कोई बॅटवारा नही किया तथा उन्हें बॅटवारा किये जाने का कोई अधिकार भी हासिल नही है केवल मात्र तहसीलदार नदबई को सहमति के आधार पर अथवा अदालत श्रीमान को बॅटवारा की डिक्री पारित करने का अधिकार हासिल है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने प्रार्थी को कभी भी उस के हिस्से 1/18 से बेदखल कर देने की कोई धमकी नही दी है। फिर भी अप्रार्थी स. 1 व 2 को विवादित आराजी का कानूनी बॅटवारा किये जाने व अदालत श्रीमान द्वारा डिक्री पारित किये जाने में कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा समस्त तथ्य झूठे पेश किया गये है। अत जारी शुदा स्थगन आदेश खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि:—

1. <u>.प्राईमाफेसी केस</u>— प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1872 रकवा 0.06, 1873 रकवा 0.01, 1874 रकवा 0.02, 1875 रकवा 0.01 किता 4 कुल रकवा 0.10 हैक्ट. वाके ग्राम मई तहसील नदबई में स्थित है जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी का रकवा है। जिस पर मुताबिक हिस्सा मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी का विवादित आराजी के हर इंच पर प्रार्थी के साथ-साथ कब्जा काश्त है। तथा अप्रार्थी स. 1 व 2 विवादित आराजी के 1/3, 1/3 हिस्से के सहखातेदार व काबिज है। तथा प्रार्थी केवल 1/18 हिससे का सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी प्रार्थी की बहिने व भाई है। तरप्रतिवादी ने प्रार्थी के दावा व प्रार्थना पत्र की ताहीद नही किया गया है। ना अप्रार्थी द्वारा धमकी दियें जाने के तथ्य बाबत प्रार्थी की बहिने व भाई ने कोई शपथ पत्र भी नही दिया है। तथा प्रार्थी लोक अदालत में बटवारा कराने के तथ्य को अंकित करता है व बटवारा की लिखी पढी होने व अप्रार्थीगण के द्वारा बटवारा ना करने व इन्कार करने की भी कहता है। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

उसके द्वारा पत्रावली में कोई नकल व दस्तावेजी पेश नही किये गये है। प्रार्थी एक तरफ विवादित आराजी पर हिस्से मुताबिक कब्जे काश्त का कथन करता है व दूसरी तरफ बेशी रकवा पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर लेने के प्रयास का कथन करता है। जिस बाबत तर प्रतिवादी जो प्रार्थी की बहिन व भाई है जो समर्थन नही करते है। अप्रार्थी विवादित आराजी के कोटीनेन्ट है जिसका विवादित आराजी के प्रत्येक इंच पर उनके रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है। इस प्रकार एक कोटिनेन्ट दूसरे कोटिनेन्ट को किसी भी प्रकार की अस्थाई से पाबन्द नही करा सकता है। इसप्रकार प्रथमदृष्टया प्रइमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

2. सुविधा का सतुलन —सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के हक में साबित है।

3. अपूर्ण क्षति -- अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द किया जाता है तो उसके खातेदारी अधिकारो का का कुठारघात होगा । जो अजीम क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अतः आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1872 रकवा 0.06, 1873 रकवा 0.01, 1874 रकवा 0.02, 1875 रकवा 0.01 किता 4 कुल रकवा 0.10 हैक्ट. वाके ग्राम मई तहसील नदबई में स्थित है, पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 08.09.2020 को विवादित आराजीयत की प्रार्थी के हिस्से तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखने का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested